न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—454/2015/223 (2015/00048)

1. अमरचंद पुत्र स्व0 लादूराम,
2. भंवरलाल पुत्र अमरचंद,
3. जगदीश पुत्र अमरचंद,
4. महेन्द्र पुत्र अमरचंद,

जाति जाट, नि0 ग्राम लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रसीद पुत्र चांद खां, जाति पिनारा मुसलमान, नि0 ग्राम लोहरवाड़ा ।
2. दॉ मैनेजर, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रामसर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 5.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 37/2013.

उपस्थितः—

1. श्री सुखदेव चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री अरविन्द कराडिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः—25.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1/वादी ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 183 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाड़ा तहसील नसीराबाद की आधार जमाबंदी मे वर्णित हाल खसरा नंबर 1028 रकबा 0.24 है0 भूमि अवस्थित है जिस पर अपीलांट/प्रतिवादी ने दिनांक 9.2.2012 को बलपूर्वक कब्जा कर लिया है जिसे हटाकर वादी को कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद डिक्री करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 बरवक्त बहस अनुपस्थित रहे किन्तु निर्णय लिखाये जाने से पूर्व लिखित बहस पेश की ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम लोहरवाड़ा के राजस्व दस्तावेज पेश किये जिससे यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । विवादित आराजी हाल

खसरा नंबर 1028 रकबा 0.28 है0 अपीलांट संख्या 1 ने दिनांक 27.11. 1996 के जरिये इकरारनामा क्रय की थी तथा क्रय दिनांक से काबिज काश्त चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने वाद बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्शित कराये बिना एवं अपीलांट की साक्ष्य लिये बिना कैम्प लोहरवाड़ा में दिनांक 5.6.2015 को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने स्वंय अपने निर्णय में विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होना नहीं होना माना इसके बावजूद वाद स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6. 2015 की जानकारी दिनांक 10.9.2015 को पेशी बाबत् जानकारी करने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी रेस्पो0 के पिता चांद खां की थी तथा उनका देहांत होने सेउनके तमाम वारिसान विवादित भूमि पर मालिक स्वामी की हैसियत से काबिज है जिनके नाम विरासत नामांतकरण भी तस्दीक होने पर चांदखां के समस्त वारिसान ने उक्त भूमि काश्त हेतु वादी को संभलायी थी जिस पर वादी निरन्तर काश्त करता आ रहा है । अपीलांट ने बलपूर्वक दिनांक 9. 2.2013 को रेस्पो0 के साथ मारपीट कर फसल को काटकर ले गये थे जिसके संबंध में रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध पुलिस थाना, नसीराबाद में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजी पर रेस्पो0 द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रामसर से ऋण लिया हुआ है । अधी0न्याया0 के निर्णय की पालना में रेस्पो0 को विवादित भूमि का कब्जा मौके पर सुपुर्द कर दिया गया है। अपीलांट को तथाकथित इकरारनामा के आधार पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथाकथित इकरारनामा फर्जी व कूटरचित है । अपीलांट द्वारा इकरारनामा के आधार पर मान0 सिविल न्यायालय में स्पेसिफिक परफोरमेंस का दावा किया हुआ है । इकरारनामा के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है । अपीलांट का यह कथन कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त था गलत है क्योंकि विवादित भूमि बैंक के रहन रखी हुई थी जिससे कब्जा काश्त अपीलांट का नहीं माना जा सकता है । यह भी कथन किया कि 100/—रू0 से अधिक की कीमत के अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर दायर प्रकरण पोषणीय नहीं है । विधि का सुस्पष्ट सिद्धांत है कि 100/—रू0 से अधिक कीमत के अचल सम्पति का हस्तातंरण का दस्तावेज रजिस्टर्ड होना आवश्यक है के अभाव में अपीलांट को उससे किसी प्रकार का हक व अधिकार नहीं मिलता है । अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 निर्णित करनो उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि

अधी0न्याया0 ने प्रकरण को कैम्प कोर्ट लोहरवाड़ा में निर्णित किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया है किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम नहीं कर सरसरी तौर पर वाद को कैम्प कोर्ट में निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, तनकियात पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से यथावत् नहीं रखा जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 25.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर